पत्रांक–5 / पी०–01 / 2024-36(5)स्वा० / स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 21.10.2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 207 ALS एम्बुलेन्स के क्रय हेतु कुल 1,03,50,00,000 / –(एक अरब तीन करोड़ पचास लाख) रुपए मात्र पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रति एम्बुलेंस 50,00,000 / –(पचास लाख) रूपये के अनुमानित दर से 207 ALS एम्बुलेन्स के क्रय हेतु कुल 1,03,50,00,000 / –(एक अरब तीन करोड़ पचास लाख) रुपए मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–640(MD) दिनांक–21.07.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि झारखण्ड राज्य में वर्त्तमान में उपलब्ध 108 आपातकालीन एम्बुलेंस की संख्या कुल 440 है। उक्त एम्बुलेंस में से 207 एम्बुलेंस ऐसे हैं, जो 08 साल से अधिक समय से संचालित है तथा 1.5 लाख किलो मीटर से अधिक की दूरी पूरी की जा चुकी है। संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से इन एम्बुलेंसों को नियमानुसार रद्दीकरण (निष्प्रयोजित) करने की कार्रवाई की जा रही है।

3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची द्वारा उक्त जर्जर घोषित एम्बुलेंसों को यथा–नियम सभी प्रक्रिया अपनाते हुए ऑक्शन के माध्यम से विक्रय कर इससे प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा।

4. जर्जर घोषित एम्बुलेंस के ऑक्शन से प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा करने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

5. एम्बुलेंस का क्रय सरकार द्वारा निर्धारित Jharkhand Procurement of Goods & Services Manual, 2024 के अनुसार न्यूनतम निविदा प्रणाली को अपनाते हुए झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट प्रोक्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के द्वारा किया जाएगा।

6. एम्बुलेन्स का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड द्वारा "108" Emergency Medical Ambulance Services के माध्यम से किया जाएगा। एम्बुलेन्स के संचालन पर होने वाले व्यय का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Supplementary PIP के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि से किया जाएगा। भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इसका वहन राज्य योजना बजट से किया जाएगा।

(अजय कुमार सिंह) अवर सचिव	(ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

7. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1269 दिनांक–21.09.2023 की कंडिका सं०–1.1 के आलोक में यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

8. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची होंगे, जो राशि का एकमुश्त पुस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट प्रोक्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता में करेंगे।

9. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।

10. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

11. व्यय का विकलन राज्य योजना बजट शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ (789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना एवं 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)–47–एम्बुलेन्सेज/शव वाहन योजना–01–एम्बुलेन्स, शववाहन योजना–04–मोटरगाड़ियाँ/ईंधन–41–मोटर वाहन (विपत्र कोड 20एस 4210–01–200(789 एवं 796 सहित)–47–01–04–41) के अंतर्गत उपबंधित राशि से होगा।

12. क्रय संबंधी कार्य वित्तीय नियमावली एवं सरकारी प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा। राशि की निकासी वित्त विभाग परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 एवं 1800 दिनांक 15.07.03 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य निदेशों के आलोक में किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय प्रतिवेदन ससमय महालेखाकार कार्यालय एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

14. इस योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड द्वारा विभाग को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक समर्पित किया जाएगा।

15. इस निमित्त विभागीय संलेख संख्या–267(5) दिनांक–30.07.2025 में सन्निहित प्रस्ताव पर दिनांक–08.08.2025 को राज्य स्तरीय योजना प्राधिकृत समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–रा० यो० प्रा०–84/2025 दिनांक–19.08.2025 द्वारा इस शर्त के साथ अनुशंसा प्रदान की गई है कि एम्बुलेंस के परिचालन की समीक्षा प्रशासी विभाग द्वारा कर लिया जाय। एम्बुलेंस के परिचालन पर कार्रवाई अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जाएगा।

16. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17. प्रस्ताव पर वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की सहमति प्राप्त है।

18. विभागीय संलेख ज्ञापांक–363(5) दिनांक–08.10.2025 में निहित उपर्युक्त प्रस्ताव पर दिनांक–14.10.2025 को मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक में मद संख्या–10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

36(5)रा०
21.10.2025

ज्ञापांक–5/पी०–01/2024-36(5) स्वा० राँची, दिनांकः 21.10.2025

प्रतिलिपिः

1. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट प्रोक्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची
3. उपायुक्त, राँची।
4. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
5. सिविल सर्जन, राँची।
6. कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची।
7. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
8. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव